



क्र. / बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड. / प्रवेश / 2025-26 / 2823

रायपुर दिनांक 25.08.2025

बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2025 की विस्तृत जानकारी

राज्य के एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/संस्थानों में संचालित बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. समेकित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया इस पाठ्यक्रम के अर्हता परीक्षा 10+2 परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बनाये गये प्रावीण्य सूची के अनुसार ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जायेगा।

ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम (बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.)

क्र.	विवरण चरणवार	दिनांक से दिनांक तक	
		दिनांक से	दिनांक तक
प्रथम चरण			
1	पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि।	29/08/25	04/09/25
2	प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	09/09/25	10/09/25
3	प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी करना।	11/09/25	
4	प्रथम चरण की सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	11/09/25	15/09/25
5	रिक्त सीटों की जानकारी	16/09/25	
6	प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	17/09/25	
7	प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी करना।	18/09/25	
8	प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	18/09/25	22/09/25
9	रिक्त सीटों की जानकारी	23/09/25	
10	प्रथम चरण की तृतीय सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	24/09/25	
11	प्रथम चरण की तृतीय सूची जारी करना।	25/09/25	
12	प्रथम चरण की तीसरी सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	25/09/25 से 29/09/25	
13	रिक्त सीटों की जानकारी	30/09/25	
द्वितीय चरण			
14	पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि।	01/10/25	05/10/25
15	द्वितीय चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	09/10/25	10/10/25
16	द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी करना।	13/10/25	
17	द्वितीय चरण की सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	13/10/25	16/10/25
18	रिक्त सीटों की जानकारी	17/10/25	
19	द्वितीय चरण की दूसरी सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	23/10/25	
20	द्वितीय चरण की दूसरी सूची जारी करना।	24/10/25	
21	द्वितीय चरण की दूसरी सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	24/10/25	28/10/25
22	रिक्त सीटों की जानकारी	29/10/25	
23	द्वितीय चरण की तीसरी सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	30/10/25	
24	द्वितीय चरण की तीसरी सूची जारी करना।	31/10/25	
25	द्वितीय चरण की तीसरी सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	31/10/25 से 06/11/25	
26	रिक्त सीटों की जानकारी	07/11/25	

नोट :-

1. आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण के छायाप्रति को cgscert.helpdesk@gmail.com पर भेजकर दावा आपत्ति कर सकते हैं।
2. आबंटन प्रक्रिया सीटों की रिक्तता, संयुक्त मेरिट रैंक तथा अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर किया जाता है। इस कारण आबंटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से सीटों के लिए अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते।

1. आवश्यक दिशा निर्देश –

आबंटन प्रक्रिया हेतु संक्षिप्त आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं –

2.1. बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :-

I. शैक्षणिक अर्हता –

पाठ्यक्रम	बी.ए. बी.एड.	बी.एससी. बी.एड.
शैक्षणिक योग्यता/पात्रता	उच्चतर माध्यमिक /+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में किसी भी संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।	उच्चतर माध्यमिक /+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में गणित/विज्ञान संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

नोट : * छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए NCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था होगी। वर्तमान में NCTE द्वारा न्यूनतम मापदंड 50 प्रतिशत निर्धारित है।

2.2. ऑनलाइन पंजीयन व प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी :-

- I. आयु सीमा– बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 01 जुलाई 2025 की स्थिति में 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) व संवर्ग के अभ्यर्थियों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार छूट की पात्रता होगी।
- II. अर्हकारी परीक्षा– हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- III. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या सक्षम अधिकृत प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- IV. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- V. छ.ग. बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. प्रवेश नियम 2018 के 1 (ख) व 3 के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।

3. ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :-

अभ्यर्थी छ.ग. बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. प्रवेश नियम 2018 का अध्ययन कर लेवें। प्रवेश प्रक्रिया इसी नियम अनुसार किया जायेगा। ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) जहां पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर कर सकते हैं। कम्प्यूटर सिस्टम में chrome 22/ Firefox अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये, जैसे – 10+2 की अंकसूची प्राप्तांक भरने के लिये (उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, बोर्ड का नाम इत्यादि के लिए) संस्थाओं एवं वहाँ उपलब्ध सीटों की जानकारी।

3.1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चरण (steps) करने होंगे।

Step - 1

1. सबसे पहले उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में जाकर काउंसिलिंग के लिए निर्धारित साइट के लिंक का उपयोग करें।
2. स्क्रीन के दाहिने भाग में बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए Apply का बटन क्लिक कर अपना पंजीयन करें। इस हेतु दिशा निर्देश चिप्स के साइट में भी दिये गये हैं। अगले स्क्रीन पर आपको Homepage पर कई जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे – समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी एवं काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी आदि। इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें।
3. स्क्रीन के दाहिने भाग में New Registration पर क्लिक करें। एवं नियम व शर्तों को पढ़कर आगे बढ़ें। अगले स्क्रीन पर स्थायी राज्य चुने (Domicile State) अगले स्क्रीन पर Mobile Number Tab पर आपको अपना नंबर भर कर Verify Tab पर क्लिक करें, क्लिक करने के पश्चात् आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP (One Time Password) प्राप्त होगा। उस अंक को OTP Box में भरकर Verify Tab पर क्लिक करें। अब आपका मोबाइल नंबर वाला Tab Verified हो गया। इसके बाद प्री टेस्ट का रोल नंबर व जन्मतिथि प्रविष्ट करें एवं इसके नीचे आपको अपना Password Create करना होगा। आप अपने सुविधानुसार कोई भी पासवर्ड जिसे आप आसानी से याद रख सकें। पासवर्ड न्यूनतम 06 digit तथा न्यूनतम 01 अंक शामिल होना चाहिये Submit पर क्लिक करें।

टीप – 1. आवेदन करते समय आपके पास मोबाइल होना अनिवार्य है जिसमें OTP (one time password) भेजा जायेगा।

2. Password दिए गए प्रारूप के अनुसार ही रखें।

4. अगले स्क्रीन पर आपको अपना Login ID नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, तथा इसे किसी को न बताये एवं प्रिंट आउट लेकर रख लेवें।

5. इसके पश्चात् Login Tab पर क्लिक करें।
6. इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगा उसमें आपको Login ID, आपके द्वारा सेट किया हुआ पासवर्ड और Captcha Code भरकर इन्टर करना होगा।
7. इसके पश्चात् नियम व शर्तों को पढ़कर आगे बढ़ें।
8. इसके पश्चात् आपको अपना Dashboard प्रदर्शित होगा।

Step - 2

- इसके पश्चात् आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी तथा शैक्षणिक अर्हता की जानकारी भरनी होगी।
- संवर्ग में FF/EXSE/दिव्यांग अभ्यर्थी को संवर्ग का संबंधित प्रमाण पत्र की सॉफ्टकापी अपलोड करना होगा।
- उपरोक्त समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक भरे क्योंकि एक बार फार्म ऑनलाइन Submit व पेमेन्ट करने के बाद Edit की सुविधा नहीं है।

Step - 3

- I. काउंसलिंग सीट्स आबंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसलिंग शुल्क 350 /- की राशि जमा करना अनिवार्य होगा यह राशि आनलाइन payment गेटवे के माध्यम से किसी भी बैंक के खाते से भरी जा सकती है।
- II. पेमेंट के पश्चात् होमपेज पर पुनः जाकर Applicant Login पर क्लिक कर Login करें एवं जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं उसे Select Tab में जाकर चुन लें। आप जितने चाहें उतनी संस्थाओं दे सकते हैं। **कम से कम एक संस्था का नाम देना अनिवार्य है परंतु आपको सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी उन्हीं संस्थाओं का नाम दें जहाँ आप चयन होने पर प्रवेश ले सकते हैं।** चुनी हुई संस्थाओं के नाम उपर प्रदर्शित हो जायेंगे। आप कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं परंतु आबंटन केवल आपके संयुक्त मेरिट क्रम के आधार, महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता एवं आपके द्वारा दिये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही संस्था के लिये होगा। इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद तब अंत में Submit में क्लिक करें।
- III. आपके द्वारा चुने हुए संस्थाओं की सूची दिखाई देगी। आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं के क्रम में ही आपको संस्था आबंटित होगी। अगर आप विकल्पों को बदलना चाहते हैं तो Fillup/Modify Choices Tab में जाकर बदल सकते हैं। अगर आप किसी एक विकल्प को हटाना चाहते हैं या सभी विकल्पों को हटाना चाहते हैं तो निर्धारित Tab पर क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे। अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें। जब आप आश्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में Save पर क्लिक करें। इसके पश्चात् आप अपने विकल्पों को बदल सकते हैं और नये विकल्प जोड़ सकते हैं।

Step - 4

इसके पश्चात स्क्रीन पर बटन पर Print Application And Option Form क्लिक करें। इससे आपका फार्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आपका फोटो और आपके द्वारा भरी गयी सभी जानकारियां एवं विकल्प भी रहेंगे। इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है। यदि प्रिंट लेने के पश्चात आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव तब तक किया जा सकता है जब तक विकल्पों को लॉक नहीं कर दिया जाता। यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म में सिर्फ Version No. बदल जायेगा। Version No. Application Form के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया रहता है। निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं। परंतु इसके पश्चात विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी। जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम Version ही मान्य किया जायेगा। इसके पूर्व के विकल्प नहीं।

टीप :-

1. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है। किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है। सलाह दी जाती है कि विकल्प भरने से पहले अपना संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें। जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे।
2. यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म में कोई त्रुटि होती है तो अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. **दस्तावेज परीक्षण करना (Document Verification) :-** दस्तावेजों का प्रारंभिक व अंतिम परीक्षण आबंटित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
6. **सीट्स आबंटन :-** निश्चित तिथि को अभ्यर्थियों के द्वारा दिये गये महाविद्यालयों के विकल्प एवं महाविद्यालयों में उपलब्ध सीट्स अर्हता परीक्षा 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई संयुक्त मेरिट रैंक के अनुसार महाविद्यालयों में सीट्स आबंटन किया जायेगा।

6.1 आबंटन की सूचना निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

- (a) SMS के द्वारा सूचना दी जायेगी। SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी SCERT की नहीं होगी।
- (b) अभ्यर्थी अपने Login में जाकर अपना ID एवं पासवर्ड डालकर अपना आबंटन पत्र देख सकते हैं एवं उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस आबंटन पत्र को लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें।
- (c) वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमांक Submit कर भी आबंटन देख सकते हैं। चयन की किसी प्रकार की सूचना डाक के द्वारा नहीं दी जाएगी।
- (d) अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित तिथि तक इस आबंटन पत्र व आवश्यक दस्तावेजों की मूलप्रति व छायाप्रति के साथ आबंटित महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकते हैं।

6.2 चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया :-

- a) अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आबंटन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
- b) महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर उन्हें प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है तथा वे ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश अमान्य माना जायेगा।
- c) प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को शाम 5 बजे के बाद प्रवेश प्रक्रिया बंद हो जायेगी केवल महाविद्यालय 5.30 बजे शाम तक प्रवेशित छात्रों के प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इस कारण समय का ध्यान रखें।
- d) महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लेवें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- e) चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तथा चयन निरस्त नहीं करता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अपने Login में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकता है।
- f) प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

6.3 अगले चरण के प्रक्रिया के संबंध में :-

- I. प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फार्म जमा किये जायेगे।
- II. यदि अभ्यर्थी आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता तो वह एक बार अपने Login में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अन्य विकल्प के साथ आबंटन के लिए विचार किय जायेगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। परन्तु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
- III. जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण के किसी भी सूची में नहीं हुआ है और वे दिये गये महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आबंटन के लिए विचार किया जायेगा। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे अपने login में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फार्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं।
- IV. यदि अभ्यर्थी अपना आबंटन/चयन निरस्त कर दिये गये महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आबंटन फार्म अपने login में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया और

एक बार अपना चयन निरस्त कराया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जायेगा।

- V. यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने सुविधा ले लिया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फार्म भरना होगा।
- VI. जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में Not Reported या किसी अन्य कारण से बाहर हो गये हैं वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा।
- VII. आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फार्म नहीं जमा कर सकेगा।
- VIII. दूसरे चरण में प्रक्रिया इसी प्रकार से रहेगी।

टीपः—

1. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
2. बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू आरक्षण नियम के तहत होगा।
3. आबंटन प्रक्रिया दो चरणों में होगी।
4. विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया, नियम व शर्तें व शुल्क तथा महाविद्यालयों की सूची SCERT रायपुर के वेबसाइट <https://scert.cg.gov.in> में अभ्यर्थी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीयन करने के पूर्व इन नियमों, शर्तों का अध्ययन अवश्य कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लेवे कि वे इन पाठ्यक्रमों के लिए पात्र हैं।
5. अभ्यर्थी बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन का विकल्प फार्म SCERT के वेबसाइट में उपलब्ध ऑनलाइन जाकर काउंसिलिंग 2025 के वेबसाइट के लिए दिये गये लिंक का उपयोग कर निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे।
6. पूछताछ व दावा आपत्ति अभ्यर्थी ईमेल cgsert.helpdesk@gmail.com में तथा पूछताछ के लिए दूरभाष क्रमांक 7470470609 में संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त समस्त प्रवेश प्रक्रिया, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. /एफ 13-1/2023/आ.प्रा./1-3 नवा रायपुर दिनांक 07.08.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।


(ऋतुराज रघुवंशी) I.A.S.
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर